

तारीख हुक्म	न्यायाधीश या कार्यवाही में उपस्थित न्यायाधीश	न्यायिक प्रक्रिया अदालत में हुक्म की तारीख में जारी हुए
11/1/22	पत्रावली पेश हुयी उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त बकाय में है। पत्रावली सार्वजनिक आदेश दिनांक 19/1/22 को पेश हो। आदेश से रीडर 19/1/22 पत्रावली पेश हुयी। व्यक्ति वादी उपस्थित। व्यक्ति वादी ने ग्रामपंच अर्द्धांश आदेश 23 नियम 1 गांधी वा धारा 151 गांधी का का पेश कर निवेदन किया कि उक्त उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष ने ग्रामपंच नुस्ते रहने की कोशिश से वादी इस वापस को प्रत्याहृत कर न्यायाधीश उपाध्यक्ष करने की अनुमति प्रदान कर्ता जानिये न्यायाधीश उपाध्यक्ष करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस वापस को प्रत्याहृत करना चाहते है वापस को प्रत्याहृत के अधिकार पर खारिज करण न्यायाधीश वापस को अनुमति नहीं देते है। अर्द्धांश वादी/प्रार्थी का ग्रामपंच अर्द्धांश आदेश 23 नियम 1 गांधी वा धारा 151 गांधी का स्वीकार किया जाकर वादी का वापस विट्ठल (खासियत) किया जाता है। वादी को न्यायाधीश उपाध्यक्ष करने की अनुमति प्रदान की जाती है व्यक्ति वादी 15 दिनांक में न्यायाधीश वापस पेश करे। फावती किन्तु शुद्ध लेखक दाखिल दस्ता है। 3 उपखण्ड अधिकारी मीलवाक	